झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :– 2/पी०एम०सी०/तेनु–11/2008– .... /राँची, दिनांक ....

आंतरिक वित्तीय सलाहकार से औपचारिक रूप से परामर्शित

प्रेषक,

ई० मुक्तिसाधन चौरसिया,
सरकार के उप सचिव (अभि०)।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड,
पो०–हिनू, राँची।

द्वारा :– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :– **तेनुघाट जलाशय के F.R.L. को 852 फीट (259.70 मी०) से 882 फीट (269.00 मी०) लेवल तक बढ़ाने के लिये Fringe Area का सर्वेक्षण, भू–अर्जन प्लान, पुनर्वास आदि से संबंधित विस्तृत योजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार करने हेतु रू० 35.00 लाख (रूपये पैंतीस लाख) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

<u>आदेश–स्वीकृत।</u>

2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग प्रक्षेत्राधीन बोकारो जिलान्तर्गत तेनुघाट अनुमंडल मुख्यालय के पास दामोदर नदी पर निर्मित तेनुघाट जलाशय के F.R.L. को 852 फीट (259.70 मी०) से 882 फीट (269.00 मी०) लेवल तक बढ़ाने के लिये Fringe Area का सर्वेक्षण, भू–अर्जन प्लान, पुनर्वास आदि से संबंधित विस्तृत योजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार करने हेतु रू० 35.00 लाख (रूपये पैंतीस लाख) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. इस प्राक्कलन में, तेनुघाट जलाशय के F.R.L. को 852 फीट (259.70 मी०) से 882 फीट (269 मी०) लेवल तक बढ़ाने पर Fringe Area के अन्तर्गत पड़ने वाले गाँवो के क्षेत्र को ग्रामीण नक्शा पर दर्शाने का प्रावधान किया गया है। सर्वेक्षण मद में विभागीय तकनीकी दल द्वारा सर्वेक्षण कार्य हेतु सर्वेक्षण कार्य की दूरी एवं क्षेत्रफल के अनुसार मजदूर इत्यादि का प्रावधान किया गया है।

F.R.L. को 852 फीट (259.70 मी०) से 882 फीट (269 मी०) लेवल तक बढ़ाने पर डूबने वाले Fringe Area, अनुमानित रकवा 109 एकड़ के लिए एक वर्ष का फसल क्षतिपूर्ति का उत्पादन के हिसाब से बाजार दर पर गणना कर प्रति एकड़ रूपये 9000.00 के अनुसार फसल क्षतिपूर्ति भुगतान का प्रावधान किया गया है।

मजदूर एवं सामग्री का दर वर्त्तमान में लागू विभागीय अनुसूचित दर से लिया गया है। Boundary Pillars / TBM Post का दर PWD के अनुसूचित दर से लिया गया है। सर्वेक्षण, भू–अर्जन प्लान, पुनर्वास आदि में उपयोग किये जाने वाले वाहन एवं उसमें उपयोगी इंधन तथा लूब्रिकेन्ट का बाजार दर पर प्रावधान किया गया है।

4. प्रस्तावित कार्य को वर्ष 2017–18 में प्रारम्भ कर मार्च 2018 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

5. प्रस्तावित कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति हेतु मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है।

6. जल संसाधन विभाग के लिये वर्ष 2017–18 के बजट में सर्वेक्षण कार्यों के लिए शीर्ष – 49S–4701–80–800–75–07–59 में रू० 750.00 लाख का एकमुश्त प्रावधान है।

7. इस कार्य पर होने वाला व्यय–

(i) मुख्य शीर्ष 4701–मध्यम सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, उप– मुख्य शीर्ष 80 सामान्य, लघु शीर्ष –800– अन्य व्यय, उपशीर्ष 75– सर्वेक्षण, अनुसंधान, परामर्श एवं मूल्यांकन, विस्तृत शीर्ष– 07– अन्य व्यय, 59– अन्य व्यय, के अन्तर्गत प्रावधानित राशि के अधीन विकलनीय होगा।

8. इस कार्य के नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, तेनुघाट बाँध प्रमण्डल, तेनुघाट होंगे।

9. प्रस्तावित कार्य की निकासी उप कोषागार तेनुघाट, बोकारो से की जायेगी।

10. प्रस्तावित कार्य के लिए वर्ष 2017–18 के बजट में उपबंध है।

11. प्रस्ताव पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

12. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।

13. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

14. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

15. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०–हिनू, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह० / –

(मुक्तिसाधन चौरसिया)

सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांक :– 2 / पी०एम०सी० / तेनु–11 / 2008– .... / राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को प्रेषण हेतु / योजना –सह– वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –

(मुक्तिसाधन चौरसिया)

सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांक :– 2 / पी०एम०सी० / तेनु–11 / 2008– .... / राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– उप कोषागार तेनुघाट, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –

(मुक्तिसाधन चौरसिया)

सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांक :– 2/पी०एम०सी०/तेनु–11/2008– 28/1778 प्र.सं. /राँची, दिनांक 31.07.2017

प्रतिलिपि :– सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1/2, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, तेनुघाट बाँध अंचल, तेनुघाट/कार्यपालक अभियंता, तेनुघाट बाँध प्रमण्डल, तेनुघाट/ ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्र०–3, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव (अभि०)